(124)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : **मनोज गोयल**

<u>अध्यक्ष</u>

प्रकरण कमांक निगरानी 746–पीबीआर / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2014 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद अपील प्रकरण कमांक 134 / अपील / 2011–12 .

हरनारायण आ0 स्व. श्री गेंदालाल विश्नोई
निवासी ग्राम आदलपुर
तहसील हंडिया जिला हरदा ....आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

बनवारी विश्नोई आ0 श्री राम विश्नोइ
निवासी ग्राम मांगरूल
तहसील हंडिया जिला हरदा ....अनावेदक

श्री बी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0पी0 गौर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29.11.16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के पिता स्व. गेंदालाल द्वारा तहसीलदार, हरदा के समक्ष मौजा मांगरूल तहसील हरदा स्थित सर्वे कमांक 131/3 रकबा 10 एकड़ पर से अपना नाम कम करते हुए अनावेदक का नाम दर्ज करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 15 / अ–27 / 2010–11 कर दिनांक 21–4–2011 को आदेश पारित कर स्व. गेंदालाल का नाम कम किया जाकर अनावेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी, हरदा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–4–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर राजस्व अभिलेखों में पूर्व अनुसार नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 16–1–2014 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के पिता द्वारा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 8–5–93 में कय की गई है, तब से निरंतर उसका स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है ।

(2) अनावेदक मृतक भूमिस्वामी का विधिक वारिसान नहीं होकर उसका आवेदक के घर आना–जाना था, जिसका फायदा उठाकर उसने प्रश्नाधीन भूमि अपने नाम दर्ज करा लिया ।

(3) आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश विधिवत मानने में त्रुटि की गई है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर अभिलिखित भूमिस्वामी का नाम किसी के आग्रह, स्वेच्छा अथवा सहमति से निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदक सह स्वामी नहीं है, और न ही आधिपत्यधारी है, इसलिए मृतक गेंदालाल द्वारा आपसी पारिवारिक व्यवस्था करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

(5) स्व. गेंदालाल यदि व्यवस्था पत्र सम्पादित करते तो अपनी पत्नी एवं वैधानिक पुत्र के मध्य करते ।

(6) अनावेदक के पक्ष में मृतक भूमिस्वामी द्वारा कोई भी अंतरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया है, इसलिए अनावेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं, और बिना हक के राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है ।

(7) नामांतरण की कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसे तहसीलदार द्वारा सावधानी से निर्वहन किया जाना चाहिए । अनावेदक की ओर से जो स्टाम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है, उसमें अंगूठा निशानी है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वे अंगूठा निशानी किसकी है, और स्टाम्प का केता भी मृतक गेंदालाल नहीं है । अतः ऐसे संदेहास्पद एवं अविश्वसनीय स्टाम्प पेपर के आधार पर तहसीलदार द्वारा आवेदक को बिना सूचना दिये नामांतरण आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई थी, इसके बावजूद भी आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को निरस्त कर तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक की ओर से जिन आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की गई है, उन आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक द्वारा आयुक्त का आदेश स्पीकिंग नहीं होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, जबकि आयुक्त द्वारा तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों की विवेचना कर विस्तृत आदेश पारित किया गया है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि स्व. गेंदालाल अथवा आवेदक की खानदानी कभी नहीं रही है । स्व. गेंदालाल अनावेदक के पिता का सगा मामा था, और अनावेदक के पिता के नाबालिग होने एवं उसकी दादी के वृद्ध महिला होने का नाजायज फायदा ठाते हुए प्रश्नाधीन भूमि अपने नाम करा ली थी, इसी कारण सहमति से भूमि अनावेदक को दी गई है ।

(4) तहसीलदार द्वारा वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाय गये आधारों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि

आयुक्त द्वारा प्रकरण में आये विभिन्न अभिलेखों का गहन अध्ययन कर विधि के प्रावधानों एवं तथ्यों की विस्तार से विवेचना करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकरण में परिलक्षित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभय पक्ष के मध्य व्यवहार वाद भी प्रचलित है, और व्यवहार न्यायालय में पारित निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर